

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1948/2006/जोधपुर

सहायक आयुक्त, वृत्त-“अ”, जोधपुर ।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स दिनेश एजेन्सीज़, जोधपुर ।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री डी.पी.ओझा,  
उप-राजकीय अभिभाषक ।

.....अपीलार्थी की ओर से.

अनुपस्थित ।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 13.08.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी सहायक आयुक्त, वृत्त-‘ए’ जोधपुर(जिसे आगे “निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) ने उक्त अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स) जोधपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.05.2006 के विरुद्ध पेश की है, जो अपील संख्या 21/आर.एस.टी. /जेयू-ए/2004-05 के संबंध में पारित किया गया है तथा जिसमें अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 29(4) के तहत पारित निर्धारण आदेश दिनांक 16.03.2004 को अपीलीय अधिकारी द्वारा समयवधि में पारित नहीं होना अवधारित कर, अपास्त करने को विवादित किया गया है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 2001-02 का निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 29(4) के तहत दिनांक 16.03.2004 को पारित किया गया है। निर्धारण अधिकारी ने इस संबंध में पाया कि आलोच्य अवधि में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कुल कर दत्त आवर्त रु.1,84,33,088/- घोषित की गयी है एवम् उक्त आवर्त के आधार पर प्रत्यर्थी व्यवहारी का पण्यावर्त कर दायित्वाधीन होना अवधारित किया। निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा पण्यावर्त कर के स्थान पर मुक्ति शुल्क का विकल्प प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने तथा पण्यावर्त कर जमा नहीं करने के कारण, पण्यावर्त कर आरोपण हेतु नोटिस जारी किया। प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होने पर, निर्धारण अधिकारी ने 0.25 प्रतिशत की दर से पण्यावर्त कर का निर्धारण कर, इस कर पर अधिभार व ब्याज आरोपित करते हुये निर्धारण आदेश पारित किया । उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील



प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने स्व: घोषित निर्धारण योजना, 1995 के तहत वार्षिक विवरणी प्रारूप एस.टी. 5-ए के प्रस्तुतीकरण के एक वर्ष के अंदर निर्धारण आदेश पारित नहीं होने के कारण, उक्त को निर्धारण होना मानकर इसे समयावधि के बाहर होना अवधारित कर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर, प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त अपील पेश की गयी है।

3- बहस सुनी गयी।

4- अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन कर, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर, अपीलार्थी राजस्व की अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

5. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है जबकि नोटिस तामील नहीं होने पर अखबार में प्रकाशन के जरिये सूचना तामील कराई गई। अतः एकपक्षीय बहस सुनी जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जा रहा है।

6. बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। इस संबंध में अपीलीय अधिकारी का निष्कर्ष है कि "स्व: कर निर्धारण योजना, 1995" (जे.के.जैन पार्ट-2 कमांक 1029 ए) जो राज्य सरकार के पत्रांक एफ.4 (16) एफडी गुप-4/83 दिनांक 26.09.1995 से अनुमोदित है तथा उक्त दिनांक 29.09.95 को प्रकाशित की गयी है, के शर्त संख्या-4 में निम्नानुसार निर्देशित है:-

"इस योजना के अधीन व्यवहारियों द्वारा प्रपत्र एस.टी. 5-ए में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने पर उन्हें इसकी प्राप्ति रसीद दी जायेगी। उक्त प्राप्ति रसीद की तिथि के एक वर्ष की अवधि में निर्धारण अधिकारी से अन्यथा कोई नोटिस प्राप्त नहीं होने पर व्यवहारी का कर निर्धारण सम्पूरित मान लिया जावेगा।" योजना के उपरोक्त उपबंधों के मध्यनजर प्रार्थी व्यवहारी को एक वर्ष में कर निर्धारण हेतु नोटिस प्राप्त नहीं होने से कर निर्धारण सम्पूरित मान लिया गया एवं विवादित आदेश की कार्यवाही को समय सीमा के बाहर मानकर अविधिक करार देते हुए आदेश को निरस्त कर दिया गया।

7. रिकार्ड के अवलोकन से विदित होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि का वार्षिक विवरणी प्रारूप एस.टी. 5-ए दिनांक 01.11.2002 को निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया गया था, तथा इस संबंध में पण्यावर्त कर की कमी पाये जाने पर वार्षिक विवरणी प्रारूप एस.टी.



5-ए प्रस्तुत करने की तिथि यानि दिनांक 01.11.2002 के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में ही प्रत्यर्थी व्यवहारी को आलोच्य अवधि के निर्धारण हेतु दिनांक 01.11.2003 को नोटिस जारी किया जाना रिकार्ड से स्पष्ट है जो दिनांक 01.12.2003 को व्यवहारी प्रत्यर्थी पर तामील होना भी स्पष्ट होता है। अपीलीय अधिकारी ने भी अपने आदेश में उक्त निष्कर्ष दिया है। स्वः कर निर्धारण योजना के ही क्लॉज 8 में यह भी प्रावधान है कि :-

“विक्रय विवरणियों के परीक्षण के फलस्वरूप, घोषणा पत्रों के अभाव में अथवा अन्यथा कर, ब्याज एवं शास्ति आकर्षित होने की स्थिति में, सम्बन्धित व्यवहारी के कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इस क्रम में विस्तृत कारण बताओ नोटिस जारी किया जावेगा। समयावधि में संतोषजनक प्रत्युत्तर प्राप्त होने पर योजना के अधीन कर निर्धारण सम्पूरित होगा। नोटिस की पालना में व्यवहारी को कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, डाक द्वारा प्रत्युत्तर कर निर्धारण अधिकारी को भिजवाया जा सकेगा।”

इसका आशय यह है कि व्यवहारी से नियमानुसार एक वर्ष की अवधि में पण्यवर्त कर के सम्बन्ध में नोटिस जारी कर प्रस्तुत प्रपत्र एस.टी. 5-ए में दर्शाये गये विवरणों के सम्बन्ध में पण्यवर्त की पाई गई कमी के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहा गया था। व्यवहारी द्वारा जवाब नहीं देने के कारण वह स्वयं कर निर्धारण योजना के दायरे से बाहर हो गया क्योंकि उसने इसका कोई संतोषजनक प्रतिउत्तर नहीं दिया। जब प्रकरण स्वतः कर निर्धारण योजना से बाहर है तो राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसको आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 29(4) के अन्तर्गत आयेगा, जिसके अन्तर्गत विवादित कर निर्धारण के सम्पूरित करने की समय सीमा दिनांक 31.03.2004 होगी जो धारा 29(8)(ए) से संचालित होगी। इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी का आदेश उचित नहीं है।

जहां तक पण्यवर्त कर के दायित्व का प्रश्न है इस सम्बन्ध में व्यवहारी के कर निर्धारण अवधि हेतु अधिसूचना 2001-48 दिनांक 29.03.2001 व तदन्तर जारी अधिसूचना 2002-167 दिनांक 22.03.2002 प्रासंगिक है।

जिनकी प्रासंगिक स्थिति निम्नानुसार है-अधिसूचना दिनांक 29.03.2001

का क्लॉज “2 That the turnover as disclosed by the dealer duly supported by an affidavit, will be accepted without any query. However, if the business in the immediately preceding year had been carried only for part of the year, the gross turnover shall be annualized accordingly for determination of turnover slabs under clause 1 above.

3. That such exemption fee is required to be paid in two equal half yearly instalments and shall be paid up to 30<sup>th</sup> April and 31<sup>st</sup> October of



the year. However, for the financial year 2001-2002, the due instalment of exemption fee shall be deposited within the period of exercising of the option under clause 6 of the notfn.

4. That the dealer opting for the exemption fee shall not charge or collect such tax under the Act.

5. That for the purpose of turnover tax, there will not be any assessment, survey or inspection of the dealer opting for the scheme, by the departmental authorities.

6. That the dealer shall opt under the notfn within 45 days of its publication or within 30 days of commencement of his new business.”

अधिसूचना दिनांक 22.03.2012 का क्लॉज 6 के परन्तुक का सब क्लॉज “(ii) He shall also deposit a late fee amounting to twenty five percent of the amount required to be deposited under the Scheme where he exercises this option under clause (i) by December 31<sup>st</sup>, and this late fee shall be fifty percent of due amount if he exercises this option after December 31 but before March 31, of the relevant financial year but for the financial years upto 2001-2002, such option can be exercised up to 31.03.2003, with late fee amounting to twenty five percent of due amount.”


उपरोक्त दोनों ही अधिसूचना से यह स्पष्ट है कि व्यवहारी को विहित समय में धारा 13ए के तहत देय पण्यावर्त कर को चुकाने के एवज में उक्त अधिसूचना के अनुसार कर मुक्ति का विकल्प को विहित अवधि में चुनना था परन्तु व्यवहारी ने राज्य सरकार की उक्त अधिसूचनाओं में विहित की गई अवधि में कतिपय दायित्वों का अनुसरण करना था परन्तु उनका पालन नहीं किया गया है। यह निर्विवादित तथ्य है कि व्यवहारी ने न तो अधिसूचना के क्लॉज (1) के अनुसार “That the dealer undertaken to pay exemption fee as per following table” का अनुसरण किया है एवं न इस हेतु “Option” दिया है न ही विहित अवधि में शुल्क ही राजकोष में जमा करवाया है।

चूंकि देय पण्यावर्त कर की जगह उक्त अधिसूचनाओं के तहत राज्य सरकार ने कर मुक्ति का विकल्प दिया था लेकिन उक्त विकल्प जारी अधिसूचनाओं की शर्तों का पालन करने पर ही व्यवहारी के लिये उपलब्ध थी परन्तु व्यवहारी प्रार्थी ने उक्त शर्तों के अनुरूप कार्यवाही नहीं की है अतः अधिसूचनाओं के तहत प्रदत्त सुविधा का पात्र नहीं ठहरता है।

अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिक व उचित नहीं होने से अपास्त किया जाता है कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 16.03.2004 को पुर्नस्थापित किया जाता है।

7. परिणामतः, राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

  
13.8.2015  
( मदन लाल )  
सदस्य